सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 10, सोमवार, शाके 1943-नवम्बर 01, 2021 *Kartika 10, Monday , Saka 1943- November 01, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 1, 2021

जी.एस.आर.254 :-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)/ एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 17-03-2021 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

राज्यपाल के आदेश से,

विमल कुमार गुप्ता,
संयुक्त शासन सचिव।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 17, 2021

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (द्वितीय संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 75 का संशोधन.- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 75 में, विद्यमान उप-नियम (2) के पश्चात् और विद्यमान उप-नियम (3) से पूर्व, निम्नलिखित नया उप-नियम (2क) अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2क) उपर्युक्त उप-नियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार की यह राय है कि ऐसी गंभीर परिस्थितियां जैसे प्रा कृतिक विपत्ति या वैश्विक महामारी या महामारी या बाढ़ इत्यादि विद्यमान हैं, जिससे अर्थव्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है, राज्य सरकार, आदेश द्वारा, उपापन संस्थाओं को, चल रही परियोजनाओं की विद्यमान संविदाओं के मामले में ली गयी कार्य संपादन प्रतिभूति ऐसी तारीख से और ऐसी शर्तों पर जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जायें, घटाने का निर्देश दे सकेगी।

[सं.एफ. 2(1)/एफडी/जीएण्डटी (एसपीएफसी)/2017]
राज्यपाल के आदेश से,

विमल कुमार गुप्ता,
संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।